

5
14/25

पत्रावली पेशा बकुलाय करीकेन हाजिर।
प्राथीया ~~कम~~ कांकर न जविये अधिवक्ता
न पूर्व में आवेडन बाबत स्थगन विज्ञे
पेश कर निवेडन किया था कि उक्त पत्रावली
को हम आगे चलाना नहीं चाहते हैं।
अतः विज्ञे किया जावे। पत्रावली में
पूर्व आडिशिका दिनांक 25/3/25 में काउण्टर
ब्लेम का जिल्ह किया गया है लेकिन
अपार्थी सं. 13 जिलने काउण्टर पेश किया।
दिनांक 07.11.2022 को अपार्थी सं. 13
के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की
जा चुकी है। अतः तथा आज दिनांक तक
वकील अपार्थी न अपार्थी सं. 13 की
और न एकतरफा कार्यवाही के लिये
आवेडन आडिश 9 नियम 7 CPC भी
पेश नहीं किया गया। अतः अपार्थी

संख्या 13 के कारगर खैम का कोई
औचित्य नहीं है। मैंने पत्रावली में
उपलब्ध दस्तावेजों का अपलोडिंग किया।

अतः प्रार्थना रुकमण कंठ का
आवेदन बाबत ह्यगन विद्रोहीकार
किया जाऊ प्रार्थना का आवेदन 212
राम विद्रो किया जाता है। पत्रावली
फैलत शुमार होऊ नखरले कम होऊ
हाविल दफतर ही Sharma

उपअण्ड अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)